

**झारखण्ड सरकार,
झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची
सूचना**

विज्ञापन संख्या:-09 राँची, दिनांक:-22.06.2020

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राज्य की जनता को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित किये जाने हेतु राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत निम्नकार्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है:-

1. आंगनबाड़ी केन्द्र से पोषाहार प्राप्त करने वाले सभी लाभुक वर्ग यथा-06 माह से 06 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं एवं चिन्हित अति कुपोषित बच्चों को पूर कपोषाहार(Supplementary nutrition) उनके घर पर आंगन बाड़ी कर्मियों द्वारा उपलब्ध कराया जाना है।
2. विद्यालय बन्दहोने के कारण मध्याह्न भोजन योजना के अन्तर्गत अर्हताधारी छात्र-छात्राओं को खाद्यान्न के साथ-साथ कुकिंग कॉस्ट की राशि एवं अण्डे/फल की राशि निम्नवत् दिया जाना है:-

क्र०सं०	कक्षा	अवधि	खाद्यान्न की मात्रा (प्रति विद्यार्थी)	कुकिंगकॉस्ट एवं अंडा की राशि (प्रति विद्यार्थी)
1.	कक्षा 1 से 5	17 मार्च से 14 अप्रैल 2020	2 Kg	113.60 ₹0
		15 अप्रैल से 31 मई 2020	3.70 Kg	249.89 ₹0
		01 से 30 जून 2020	2.3 Kg	162.31 0
2.	कक्षा 6 से 8	17 मार्च से 14 अप्रैल 2020	3 Kg	158.20 ₹0
		15 अप्रैल से 31 मई 2020	5.55 Kg	341.65 ₹0
		01 से 30 जून 2020	3.45 Kg	219.35 ₹0 (कक्षा 6 एवं 7 के विद्यार्थियों के लिये)

3. जन वितरण प्रणाली के माध्यम से दी जाने वाली राशन की विवरणी, जो निम्न है :-

क्र०सं०	माह	PHHकार्डधारी	AYYकार्डधारी
1	अप्रैल में (मई का अग्रिम एक साथ)	10 कि०ग्रा० खाद्यान्न प्रति सदस्य ₹0 1 प्रति कि०ग्रा० की दर से एवं 1Kgदाल प्रति परिवार निःशुल्क	70 कि०ग्रा० खाद्यान्न प्रति कार्ड ₹0 1 प्रति कि०ग्रा० की दरसे एवं 1Kgदाल प्रति परिवार निःशुल्क
2	मई (प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना अंतर्गत)	10 कि०ग्रा० खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1 कि०ग्रा० दाल प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से अच्छादित)	10 कि०ग्रा० खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1 कि०ग्रा० दाल प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से अच्छादित)
3	जून	5Kg खाद्यान्न प्रति सदस्य ₹0 1 प्रतिKg 5 Kgखाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1Kg दाल प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से अच्छादित)	35 Kg खाद्यान्न प्रति कार्ड ₹0 1 प्रति Kg 5 Kg खाद्यान्न प्रति सदस्य निःशुल्क एवं 1 Kgदाल प्रति परिवार निःशुल्क (NFSA से अच्छादित)
4	ऐसे जरूरत मंद जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, किन्तु उन्होंने ERCMS द्वारा आवेदन दिया है तथा योग्यता भी रखते हैं, उन्हें प्रति परिवार 10 कि०ग्रा० खाद्यान्न प्रति माह ₹0 1 प्रति कि०ग्रा० के दर से ERCMSमें दर्ज डीलर के यहाँ से माह अप्रैल एवं मई में भी देय है।		

जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अगर आपको अप्रैल, मई एवं जून माह में PDS, मध्याह्न भोजन एवं आंगनबाड़ी से संबंधित कोई भी शिकायत (यथा राशन/अन्य लाभ नहीं मिलना, कम मिलना, ज्यादातर कम लेना इत्यादि) होतो उक्त अनियमितता संबंधी शिकायत लिखित रूप से संबंधित जिला के अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी को अथवा आयोग को सीधेई-मेल के माध्यम से अथवा आयोग के निम्न Whatsapp नंबरों पर अथवा आयोग के Website पर सीधे Online दर्ज किया जा सकता है। आयोग द्वारा इस प्रकार की अनियमितता संबंधी शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है।

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।			
क्रमांक	पता	ई-मेल/वेबसाइट/ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने का Link	Contact no./ वाट्सएप नं०
1.	ई-1/8, साकेतनगर, निबंधन कार्यालय के सामने, हिनू, राँची, पिन कोड- 834002	ईमेल:-	8986716934
		jharfoodcommission@gmail.com	7070637777
		वेबसाइट :- www.jharkhandsfc.in	8978770662 8102012776
		आनलाइन शिकायत दर्ज करने का पता:- jharkhandsfc.in/hpdk/	9431391342

आप अपने नजदी की प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से भी Online शिकायत दर्ज कर सकते हैं। स्वीकृत शिकायतों पर आयोग द्वारा सीधे अथवा नजदी की प्रज्ञा केन्द्र के माध्यम से Video Conferencing के माध्यम से सुनवाई की व्यवस्था की जाएगी।

नोट:-

4. शिकायत पत्र का प्रारूप एवं नमूना आवेदन पत्र आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

5. संबंधित जिला के अपर समाहर्ता-सह-जिला शिकायत निवारण पदाधिकारी का पता/ Email Id / Mobile no. आयोग के Website पर उपलब्ध है।

(मदन मोहनपति त्रिपाठी)

विशेष कार्य पदाधिकारी,

झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची